

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2668

उत्तर देने की तारीख 19 दिसम्बर, 2023

28 अग्रहायण, 1945 (शक)

लिंग-परीक्षण

2668. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आज की स्थिति में देश में महिला एथलीटों का लिंग परीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) विगत दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में निर्धारित लिंग परीक्षण में असफल होने वाले सभी एथलीटों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि लिंग परीक्षण केवल महिला एथलीटों का किया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने ट्रांसजेन्डरों के लिए भी लिंग परीक्षण निर्धारित किया है;

(च) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने ट्रांसजेन्डरों के लिए लिंग- परीक्षण प्रक्रियाओं के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (छ): जी नहीं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एथलीटों की जेंडर टेस्टिंग नहीं करता है। तथापि, किसी भी खेल प्रतियोगिताओं/ टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों की प्रतिभागिता संबंधित खेल विधा के अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों/ परिसंघों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा अधिशासित होती है।
